

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

आदेश

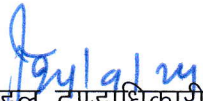
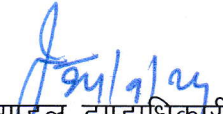
वाद सं० 39/2018

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष – उमेश सिंह वगै०

बनाम

द्वितीय पक्ष – जहारी सिंह वगै०

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 08/2018 दिनांक 17.07.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष— (1) उमेश सिंह उम्र 40 वर्ष लगभग पिता— उग्रसेन सिंह (2) सुरेश सिंह उम्र 52 वर्ष लगभग पिता— उग्रसेन सिंह (3) नरेश सिंह उम्र 50 वर्ष लगभग पिता— उग्रसेन सिंह (4) रूपेश सिंह उम्र 38 वर्ष पिता— उग्रसेन सिंह (5) लिलावती देवी उम्र 39 वर्ष लगभग पति— नारायण सिंह सभी ग्राम—कुदा थाना— कामडारा जिला— गुमला द्वितीय पक्ष— (1) जहारी सिंह उम्र 65 वर्ष लगभग पिता— स्व० अभिमन्यु सिंह (2) दमयन्ती देवी उम्र 60 वर्ष लगभग पति— जहारी सिंह (3) विरेन्द्र सिंह उम्र 47 वर्ष लगभग पिता— जहारी सिंह (4) कमला देवी उम्र 40 वर्ष लगभग पति— विरेन्द्र सिंह (5) रोहित सिंह उम्र 20 वर्ष पिता— विरेन्द्र सिंह (6) माधव सिंह उम्र 44 वर्ष लगभग पिता— जहारी सिंह (7) केतकी देवी उम्र 40 वर्ष लगभग पति— माधव सिंह (8) राधिका कुमारी उम्र 18 वर्ष लगभग पिता— विरेन्द्र सिंह सभी ग्राम— कुदा थाना— बसिया जिला— गुमला के बीच फसल लगे पौधा उखाड़ने के कारण उत्पन्न विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>24/09/2024</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	